केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य

बनाम

धर्मेन्द्र शर्मा

सितंबर 14, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

सेवा कानूनः

प्रतिवादी के पिता केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत थे और दिनांक 17.09.1999 पर काम करते हुये उनकी मृत्यु हो गयी प्रत्यार्थ द्वारा एक आवेदन पर अधिकारियों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ती कर अस्वीकार का दिया था। पीड़ित, प्रत्यार्थीने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसे उनके द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें अपीलार्थ द्वारा प्रत्यार्थको अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ती करने के निर्देश दिये था। निर्देश दिये जाने के बावजूद भी प्रत्यर्थी की याचिका अपीलार्थ द्वारा जरिये आदेश दिनांक 18.09.2001 खारिज की गई। उक्त आदेश को चुनौती देते हुये प्रत्यर्थीद्वारा ब्।ज् में दूसरी याचिका दायर की गई। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थको राहत देते हुये निर्देश दिया की, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ती के लिये प्रत्यर्थका नाम पैनल में रखा जायेगा व उसका प्रकरण रिक्त होने पर उसके मामले पर

विचार किया जाना चाहिये। अपीलार्थने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसलिये वर्तमान अपील ।

अपीलार्थी- संगठन ने तर्क दिया की एक नीतिगत निर्णय लिया गया था कि समुह "डी" के पदों पर नियुक्ती नहीं करनी है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुये न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया की:

1.1 न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा विधि का उल्लेख नहीं किया। (पद संख्या 6) [1010-ए]

1.2 चूंकि नीति निर्णय को चुनौति नहीं दी गई है। इसलिए यह अनिवार्य था कि न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय नीति की प्रयोज्यता की जांच कर निर्णय ले। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अपने नीतिगत निर्णय के विपरित कार्य करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टिकिये गये ब्।ज् के निर्णय को यथावत नहीं रखा जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी समय के.वी.एस. किसी भी अनुकम्पा नियुक्तियोजना को अपनाना चाहता है और समुह "डी" पदों पर नियुक्तियां करने का इरादा रखता है तो प्रतिवादी के मामले पर विधिवत विचार किया जाएगा। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में कोई राय

व्यक्त नहीं की गई है। यह केवीएस को तय करना है। [पैरा 6 और 7] [1010-ए-सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील सं. 4265

2003 की डी.बी. रिट याचिका सं. 988 में राजस्थान उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर के 16.03.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश से

अपीलार्थियों के लिए एस. राजप्पा और जयरामन।

उत्तरदाताओं के लिए मनोज स्वरूप, ललिता कोहली ए. के. त्रिपाठी और मनोज स्वरूप एंड कंपनी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1.अनुमति दी गई।

2. इस अपील में राज. उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच की डिवीजन बेंच द्वारा अपीलार्थ की रिट याचिका के खारिज आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'कैट') द्वारा ओ. ए. 35/2002 में पारित दिनांकित 26.11.2002 आदेश के लिए थी।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः प्रतिवादी के पिता केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत थे (संक्षेप में

'केवीएस') और 17.9.1999 पर काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ती के लिए आवेदन किया। अपीलार्थियों ने भी इसे खारिज कर दिया था। प्रत्यर्थी ने कैट के समक्ष ओ. ए./2000 दायर किया था जो स्वीकार किया गया और भारत संघ और अन्य को निर्देश दिया गया कि वे उपलब्ध 53 समूह-डी रिक्तियों में से 5 प्रतिशत के खिलाफ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के अनुरोध पर विचार करें। इन निर्देशों के बावजूद, प्रतिवादी की प्रार्थना को 18.9.2001 दिनांकित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह आदेश ओ. ए. 35/2002 दर्ज करके कैट के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसे 26.11.2002 पर तय किया गया था। उक्त आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था।

4. सी. ए. टी. के समक्षदिनांकित 6.12.1976 अधिसूचना में सरकार के निर्णय का संदर्भ दिया गया था जिसमें अनुबंध श्रम के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। केंद्र सरकार के संबंध में प्रतिष्ठानों में या उनके द्वारा कब्जा की गई इमारतों को झाड़ू लगाने, साफ करने, धूल उड़ाने और देखने के लिए। कैट ने याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि कैट के पहले के फैसले के बाद, अपीलार्थीको स्कूल की सफाई के काम के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्तिके लिए आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था

बगीचे का निर्माण या रखरखाव निजी एजेंसियों को दिया गया था। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थको राहत देते हुए निर्देश दिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थीका नाम पैनल में रखा जाना चाहिए और रिक्त होने पर उसके मामले पर विचार किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। यह विचार था कि यह एक ऐसा विभाग है जो रिक्तियों का सृजन करेगा और अकेले विभाग एक कर्मचारी से काम लेगा न कि ठेकेदार से जो अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि नीतिगण निर्णय समुह ''डी'' पद पर नियुक्ति न करने का निर्णय लिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि केवल केन्द्रीय सरकार से संबंधित समुह ''डी'' पदों पर तथाकथित पांच प्रतिशत आरक्षण लागू होगा व अपीलार्थीपर लागू नहीं होता है, जिनके पास अपना स्वयं का अधिकार या ऑपरेटिव विनियमन व मानदंड है। उक्त तथाकथित नीतिगत निर्णय से के.वी.एस. द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निगरानी और रखरखाव के कर्तव्यों के रूप में कुछ सेवाओं का निजीकरण करना स्कूलों की सफाई, विद्यालय भवनों, शौचालयों, कक्षाकक्षोंकी सफाई, जिसमें मेज़ों पर धूल उड़ाना आदि शामिल है, बगीचों, लॉन और परिसर का उचित रखरखाव जो क्रमशः चौकीदारों, सफाई कर्मचारियों और मालियों द्वारा किया जा रहा था।

एक तरह से, केवीएस ने समूह 'डी' कर्मचारियों की सीधी भर्ती को समाप्त कर दिया। केवीएस के स्कूलों में कुछ सेवाओं के निजीकरण से संबंधित 10.12.1999 का कार्यालय ज्ञापन।

6. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि ऐसा नीतिगत निर्णय लिया गया था। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था कि समूह 'डी' पदों की कुछ श्रेणियां नीतिगत निर्णय द्वारा कवर नहीं की गई थीं। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने नीतिगत निर्णय का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने कहा कि ठेकेदार अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुकंपा नियुक्ति के तहत आवेदक हो। वास्तव में इसका कोई महत्व नहीं है। चूंकि नीतिगत निर्णय को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय पर यह दायित्व था कि वे नीतिगत निर्णय की प्रयोज्यता की जांच करें। केवीएस को अपने नीतिगत निर्णय के विपरीत कार्य करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता था।

7. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टिकिए गए कैट के निर्णय की पुष्टि नहीं की जा सकती है हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी समय केवीएस किसी भी अनुकंपा नियुक्त योजना को अपनाना चाहता है और समूह डी के पदों पर नियुक्ति करने का इरादा रखता है तो प्रत्यर्थीके मामले पर विधिवत विचार किया जाएगा। हम स्पष्ट करते हैं कि

हमने प्रत्यर्थीकी पात्रता या अन्यथा के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह केवीएस को तय करना है।

8. उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा की हद तक दी जाती है, व्यय के बारे में कोई आदेश के बिना।

एसकेएस.

अपील की आंशिक रूप से

अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पीयूष मेड़तिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।